

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2025/169

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी:- सुमन देवी  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 78/2025 (इमरान वगै० बनाम सरकार)

निर्णय दिनांक :-26.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.11.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार जमीन जैर बहस ख०न० 1158/850, 1159/850, 849, 851 कुल किता 4 कुल रकबा 5.38 है० वाके ग्राम डाबड़ी धीरसिंह के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण के पिता का गलत नाम अमनियां के स्थान पर सही व दस्तावेजी नाम मो० आमिन दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.11.2025 को जारी की गई।



*(Handwritten signature)*

(सुमन देवी)

उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर